रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240221 CG-DL-E-11112022-240221

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5025] No. 5025] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2022/कार्तिक 20, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022/KARTIKA 20, 1944

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022

का.आ. 5244(अ).—मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सां. आ. संख्या 6032 (अ) तारीख 04 दिसंबर, 2018 की अधिसुचना के द्वारा किया गया था;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) में यह उपबंध है कि धारा 34 की उप-धारा (1) के (ज) से (त) तक के खंडों में संदर्भित केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल उनके नामांकन किए जाने की तारीख से तीन वर्ष का होगा और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे;

और का.आ. संख्या 6032 (अ) तारीख 04 दिसंबर, 2018 की अधिसूचना के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) के (ज) से (त) तक के खंडों में संदर्भित केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल 03 दिसम्बर, 2021 को समाप्त हो गया।

मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 34 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अतः, अब केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड-(ii) तारीख 04 दिसम्बर, 2018 में प्रकाशित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. संख्या 6032 (अ) तारीख 04 दिसम्बर, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 9 से 16 तक तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः-

7483 GI/2022 (1)

"9. धारा 34 की उप-धारा (1) के खंड (झ) के अधीन

रिक्त सदस्य

10. धारा 34 की उप-धारा (1) के खंड (ञ) के अधीन

श्री कमलेश कमार साह सदस्य

11. धारा 34 की उप-धारा (1) की के खंड (ट) के अधीन

डॉ. मैथिली हज़ारिका सदस्य

12. धारा 34 की उप-धारा (1) के खंड (ठ) के अधीन

श्रीमती रेन्तला श्रीवाणी सदस्य

13.धारा 34 की उप-धारा (1) के खंड (झ) के अधीन

i. श्री शिवम जयन्त

ii. सुश्री बीएस लावण्या सदस्य

14. धारा 34 की उप-धारा (1) के खंड (ढ) के अधीन

i. सुश्री डी ममता

ii. सुश्री जाह्नवी बिवाल्कर सदस्य

15. धारा 34 की उप-धारा (1) के खंड (ण) के अधीन

i. श्री राजीव अग्रवाल

ii. रिक्त सदस्य

16. धारा 34 की उप-धारा (1) के खंड (त) के अधीन

i. डॉ. राजेश सागर, प्रोफेसर, एम्स, नई दिल्ली

ii. रिक्त सदस्य"

2. सदस्यों का कार्यकाल और रिक्तियां मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 35 में निहित उपबंधों द्वारा शासित की जाएंगी।

[फा. सं. वी 15012/5/2021-पीएच-I (भाग-I)]

विशाल चौहान, संयुक्त सचिव

टिप्पण: भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, उप-खंड-(ii) में मूल अधिसूचना सां. आ. संख्या 6032 (अ) तारीख 04 दिसम्बर. 2018 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

# MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2022

**S.O.** 5244(E).—Whereas the Central Mental Health Authority was constituted in exercise of the powers conferred by section 33 of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 6032(E), dated the 4<sup>th</sup> December, 2018;

And whereas sub-section (1) of section 35 of the said Act provides that the term of office of members of Central Mental Health Authority referred to in clauses (h) to (p) of sub-section (1) of section 34 shall be three years from the date of nomination and shall be eligible for reappointment;

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

And whereas the term of office of the members of Central Mental Health Authority referred to in clauses (h) to (p) of sub-section (1) of section 34 of the said Act *vide* notification number S.O. 6032(E), dated the 4<sup>th</sup> December, 2018 expired on the 3<sup>rd</sup> December, 2021.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 34 of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 6032(E), dated the 4th December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II section 3, sub-section (ii), dated the 4th December, 2018, namely:—

In the said notification, for serial numbers 9 to 16 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

"9. Under clause (i) of sub-section (1) of section 34:

VACANT member;

10. Under clause (j) of sub-section (1) of section 34:

Shri Kamlesh Kumar Sahu member;

11. Under clause (k) of sub-section (1) of section 34:

Dr. Mythyli Hazarika member;

12. Under clause (1) of sub-section (1) of section 34:

Smt. Rentala Sreevani member;

13. Under clause (m) of sub-section (1) of section 34:

(i) Shri Shivam Jayant

(ii) Ms. B. S. Lavanya members;

14. Under clause (n) of sub-section (1) of section 34:

(i) Ms. D. Mamatha

(ii) Ms. Janhavi Biwalkar members;

15. Under clause (o) of sub-section (1) of section 34:

(i) Shri Rajiv Aggarwal

(ii) VACANT members;

16. Under clause (p) of sub-section (1) of section 34:

(i) Dr. Rajesh Sagar, Professor, AIIMS, New Delhi;

(ii) VACANT Members.".

2. The term of office of and vacancies among the members shall be governed by the provisions contained in section 35 of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017).

[F. No. V.15012/5/2021-PH-I (Pt.-I)]

VISHAL CHAUHAN, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii) vide notification number S.O.6032 (E), dated the 4<sup>th</sup> December, 2018.